लोक सुनवाई का वृत।

श्री सुशील कुमार, पिता–स्वर्गीय चंदेशवर मौआर, संबेदक कॉलोनी, गैस ऐजेंसी रोड, पकडी, आरा, भोजपुर द्वारा भोजपुर सोन–36 बालू घाट, मौजा–खरांव चतुर्भुज, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 08.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय, सहार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2346/2023, दिनांक 10.04.2023 के आलोक में श्री निरोज कुमार भगत, नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 08.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, सहार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 06.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (450 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री बिक्रांत कुमार सिंह, ग्राम–खरांव, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होता है, तो बालू से लदा गाड़ी का परिवहन बिना तिरपाल ढ़के एवं ओभर लोडिंग किये हुये रहता है। जिससे बालू सड़क पर गिर जाता है, जिससे प्रदूषण की संभावना ज्यादा होती है। इनके द्वारा यह भी पूछा गया कि घाट से मुख्य सड़क तक सड़क का रख–रखाव कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् हेतु बताये गये सारे उपाये सुनिश्चित कराये जायेंगे। इस परियोजना में बालू से लदा वाहन को तिरपाल से ढ़ककर परिवहन करना है। ओभर–लोडिंग नहीं करना है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना है। इनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक पहुँच–पथ का रख–रखाव संवेदक द्वारा किया जायेगा।
2.	श्री अरूर सिंह, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।
3.	श्री विशाल कुमार सिंह, ग्राम–खरांव, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना शुरू होने से हमलोगों को फायदा है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास का कार्य होगा।
4.	श्री मनोज सिंह, ग्राम– खरांव, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि ओभर–लोडिंग नहीं होना चाहिए। सड़क पर धूल नहीं होना चाहिए। हमें घाट चलने से कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख—रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ—व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन—सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14-8-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

नगर आयुक्त,
नगर निगम आरा, भोजपुर

उपस्थिति सूचि

श्री सुशील कुमार, द्वारा भोजपुर सोन–36 बालू घाट, मौजा–खरांव चतुर्भुज, ब्लॉक–सहार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, सहार दिनांक 08.08.2023 समय–11:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	N.K. Bhagat	M.C. Ara	(signature) 8/8/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	सं० पदा० बि.रा.प्र.नि. पर्षद, पटना	आ 8-8-23
3.	राजेश कुमार कुशवाहा	जिला खनन पदा०, भोजपुर	(signature) 08/08/2023
4.	Ravi Ranjan	Consultant, Rian Enviro Pvt. Ltd.	Ravi 08-08-23.
5.	Sanjay Kumar Singh	Kharaun Bhojpur	Sanjay Kumar Singh
6.	Ashutosh kumar	Kharaw Bhojpur	Ashutosh
7.	विक्रान्त कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह	खरांव कर्मा, सहार भोजपुर	vikrant kumar singh.
8.	बेला सिंह	"	बेलासिंह
9.	हरे राम सिंह	"	हरे राम सिंह
10	पिंटू कुमार		पिंटू कुमार
11.	गुंजन सिंह	कुमारडि	गुंजन सिंह
12	J.P Singh	Phulwari	J.P Singh
13	जीतेन्द्र मौआर	खरांव कर्मा	जीतेन्द्र मौआर
14	मनोज सिंह	खरांव कर्मा	मनोज सिंह
15	विशाल सिंह	खरांव कर्मा	Vishal kumar

16	हृदया नन्दराम	मोदीपुर	हृदयानन्दराम
17	रंजीत सिंह	बड़की खाड़ाव	रंजीत सिंह
18	धनंजय कुमार सिंह	बड़की खाड़ाव	धनंजय कुमार सिंह
19	मन्टु कुमार	लड़की खड़ाँव कलाँ	मन्टु कुमार
20	कृष्णा शर्मा	खड़ाँव कलाँ	कृष्णा शर्मा
21	रजनीश मोर	खड़ाँव कलाँ	रजनीश मोर
22	रामकेश्वर	चौरी	रामकेश्वर
23	ओम प्रकाश सिंह	चौरी	ओम प्रकाश सिंह
24	पुलिस सिंह	चौरी	पुलिस सिंह
25	बांके बिहारी सिंह	चौरी	बांके बिहारी सिंह
26	लव कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
27	मुन्ना कुमार	फुलाड़ी	[illegible]
28	शिवम सिंह	फुलाड़ी	Shivam Kumar
29	संजय शर्मा	नारायण चौरी	संजय शर्मा
30	ज्ञानेन्द्र चन्द्र शर्मा	नारायण चौरी	ज्ञानेन्द्र चन्द्र शर्मा
31			
32			
33			
34			